

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर
क्रमांक/भू.अ./2024/2184 दिनांक 15/7/24

अनवान :-

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
रामजीराम	बनाम	जेतमालसिंह वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 33/2022

दिनांक : 15.07.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बूठ राठोडान के मौजा मले का तला के खेत खसरा सं. 542/538 रकबा 45.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/2185-88

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी रामजीराम
3. विप्रार्थीगण जेतमालसिंह वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/घौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 15/7/24



(सुरजभान बिशोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन